उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
रिट याचिका (एम/एस) संख्या–686/2022

रमेश सजवाण ...याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तराखंड राज्य और अन्य ...प्रतिवादी

श्री तरुण प्रकाश टाकुली, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता,
श्री सुयश पंत, ब्रीफ होल्डर, उत्तराखंड राज्य 1 और 2.
श्री राजीव सिंह बिष्ट, अधिवक्ता, प्रतिवादी 3 और 4 के लिए।

माननीय न्यायमूर्ति श्री शरद कुमार शर्मा, (मौखिक)

नगर पालिका परिषद, बाराहाट, उत्तरकाशी, जिला उत्तरकाशी द्वारा दिनांक 16.03.2022 को प्रकाशन संख्या 1085/2021–2022 जारी करके ''बैशाखी बसंत मेला–2022'' आयोजित करने के प्रयोजनों के लिए संभावित बोलीदाताओं से बोलियां आमंत्रित की गयी थीं। दिनांक 16.03.2022 को दिए गए निविदाओं के आमंत्रण के प्रस्ताव के अनुसार नगर पालिका परिषद, बाराहाट, उत्तरकाशी ने निम्नलिखित शर्ते लगाई थी कि बोलियां आमंत्रित करने वाले नियोक्ता के लिए अस्वीकृति के लिए कोई कारण बताए बिना, या शर्तों में कोई बदलाव करने के लिए उसे स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए अधिकार होग। बोलियों का प्रस्ताव दिनांक 16.03.2022 के प्रकाशन द्वारा आगे बढ़ाया गया।

2. याचिकाकर्ता का कहना है कि उसने बोली के उक्त आमंत्रण पर बोली लगाई थी और परिणामस्वरूप उसने तर्क दिया कि उसका एक सफल बोलीदाता के रूप में चयन किया गया, जिसके पक्ष में अनुबंध निष्पादित किया जाना था। इसके अतिरिक्त वह दिनांक 26.03.2022 के पत्र संख्या 1062 का संदर्भ देता हैं, जिसमें अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद द्वारा प्रेषित पत्र में, जिसमें उन्होंने कहा कि निविदा समिति की सिफारिश के आधार पर, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष ने अनुबंध स्वीकार कर लिया है और इसके बाद याचिकाकर्ता को 75 प्रतिशत अग्रिम धन जमा करने के बाद अनुबंध बांड निष्पादित करने के लिए कहा गया था। जैसा कि दिनांक 26.03.2022 के पत्र में संदर्भित किया गया है।

3. वास्तव में याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि समिति का निर्णय जिससे याचिकाकर्ता को अनुबंध निष्पादित करने के

लिए बुलाकर लागू करने की मांग की जा रही थी, उसके द्वारा दी गई बोली के परिणामस्वरूप हुई है और उसके पक्ष में एक अधिकार उत्पन्न हो गया है। याचिकाकर्ता द्वारा इसे गलत तरीके से समझा गया है क्योंकि प्रस्तावित अनुबंध को निष्पादित किया जाना बाकी था, और उक्त पत्र संख्या 1062 दिनांकित 26.03. 2022 केवल बोलियों के लिए एक आमंत्रण था और वह केवल एक प्रस्ताव माना जायेगा।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तक प्रस्तुत किया कि दिनांक 31.03.2022 के पत्र द्वारा याचिकाकर्ता की बोली को खारिज कर दिया गया है और इस प्रकार यह संकल्प लिया गया था कि नगरपालिका क्षेत्र के ''व्यापार मंडल'' द्वारा उठाए गए विरोध के कारण कोई अनुबंध निष्पादित नहीं किया जाना है।

5. याचिकाकर्ता का कहना है कि उक्त आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क को स्वीकार नहीं करने के दो कारण हैं। (i) निविदा प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाने का अधिकार जैसा कि प्रतिवादी द्वारा दिनांक 16.03.2022 को बोली लगाने के लिए आमंत्रित किया गया है, नियोक्ता द्वारा किसी भी समय और चरण में वापस लिए जाने के लिए सुरक्षित रखा गया था और वह भी बिना कोई कारण बताए। यद्यपि दिनांक 31.03.2022 के इस पत्र में, इसके कारण दिए गए हैं, लेकिन लागू आदेश में कारणों को अपने आप में सौंपने से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का आकर्षण नहीं होगा, खासकर जब याचिकाकर्ता के पक्ष में कोई समापन और निष्कर्षित अधिकार नहीं बनाया गया है, क्योंकि इस न्यायालय की राय के अनुसार दिनांक 26.03.2022 का पत्र केवल अनुबंध के निष्पादन की पेशकश थी। जिसे निष्पादित किया जाना बाकी था और एक निष्पादित अनुबंध का अंतिम रूप दिया गया था।

6. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने दिनांक 14.12.2015 को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा डब्ल्यू0पी0एम0एस0 संख्या 3115/2015 में दिए गए एक निर्णय का संदर्भ दिया। वास्तव में यदि उक्त निर्णय पर ही विचार किया जाए, इसमें जो निष्कर्ष निकाले गए हैं वे उक्त मामले की अनन्य तथ्यात्मक पृष्ठभूमि के आधार पर थे। जहां निर्दिष्ट अवधि के लिए ''झूला'' और अन्य मनोरंजन गतिविधियों के उपकरणों को स्थापित करने का एक निष्कर्षित अधिकार याचिकाकर्ता को पहले

ही एक निष्पादित अनुबंध के अन्तर्गत दिया गया था, जिसे बाद में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा रद्द कर दिया गया था।

7. समन्वय पीठ ने उक्त निर्णय में ठेका देने को रद्द करने के आदेश को रद्द करने वाली रिट याचिका को स्वीकार कर लिया था, क्योंकि बोलियों के आमंत्रण के प्रस्ताव में निहित तथ्यात्मक परिस्थितियां विचार का विषय नहीं थीं और न ही उस संबंध में कोई निष्कर्ष दर्ज किया गया है।

8. मैं इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिए गए उक्त निर्णय से सम्मानपूर्वक असहमत हूं।

9. एक अन्य निर्णय/आदेश जिस पर याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा भरोसा किया गया है, डब्ल्यू0पी0एम0एस0 संख्या 252/2020 प्रस्तुत किया गया। जिसे इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा निर्णित किया गया था। जिसमें दिनांक 27.01.2020 के एक आदेश द्वारा याचिकाकर्ता के पक्ष में एक अंतरिम आदेश पारित किया गया था, जिसमें दिनांक 22.01.2022 के आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी, जिसे प्रतिवादी नंबर 3 द्वारा पारित किया गया था और याचिकाकर्ता को पुरोला में स्थित खेल के मैदान में ''व्यापार मेला दर्शनी मेला'' आयोजित करने की अनुमति देने के लिए एक परमादेश की रिट जारी करने की याचना की गई थी।

10. चूंकि उक्त आदेश एक अन्तवर्ती आदेश है और यह केवल एक अंतरिम व्यवस्था के माध्यम से था। इसलिए यह एक पूर्व निर्णय नहीं है, जिसका किसी अन्य समन्वय पीठ पर बाध्यकारी प्रभाव पड़ेगा। जब तक कि इस प्रश्न को न्यायालय द्वारा अंततः योग्यता के आधार पर निर्णीत नहीं किया जाता।

11. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने डब्ल्यू0पी0एम0एस0 संख्या 495/2021 में दिए गए एक अन्य न्याय–दृष्टांत का उल्लेख किया है। जिसमें दिनांक 10.02.2021 के आदेश द्वारा घनशाली, जिला टिहरी गढ़वाल में मेला आयोजित करने की अनुमति देने के लिए उप–मंडल मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 26.02.2021 के आदेश के माध्यम से उक्त अनुमति रद्द कर दी गई थी। यह वास्तव में एक ऐसा मामला था। जहां दिनांक 10.02.2021 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता को पहले से ही प्रस्ताव के लिए धनराशि जमा की गयी थी और उक्त मामले में याचिकाकर्ता ने शेष राशि जमा करने का प्रयास किया था। लेकिन इस मामले में

भी यह समान परिस्थितियों पर आधारित नहीं था, जैसा कि वर्तमान मामले में विचार शामिल है। इसका कारण यह है कि यदि दिनांक 03.03.2021 के उक्त फैसले के अंतिम भाग को ध्यान में रखा जाता है, तो वास्तव में जमा राशि में छूट के पहलू पर भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के आलोक में विचार किया जा रहा था। जो मौजूदा कोविड 19 महामारी की स्थिति के कारण जारी किए गए थे। उक्त निर्णय याचिकाकर्ता के वर्तमान तथ्यात्मक मामले से बड़े पैमाने पर विरोधाभासी था। इसलिए उक्त निर्णय के आधार पर याचिकाकर्ता द्वारा जिस सिद्धांत को आधार बनाने की मांग की गई है, वह तत्काल मामले में लागू नहीं होगा। जहां याचिकाकर्ता द्वारा जमा की जाने वाली राशि को जमा करने में आंशिक विफलता की गयी थी।

12. उक्त निर्णय को दिनांक 20.03.2022 के पत्र के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए, जहां केवल याचिकाकर्ता को 75 प्रतिशत राशि जमा करने के बाद ही अनुबंध निष्पादित करने के लिए उत्तरदाताओं से संपर्क करने की पेशकश की गई थी।

13. इसका यह अर्थ है कि याचिकाकर्ता के पक्ष में कोई अधिकार सृजित किए जाने के लिए यह बहुत असामयिक चरण था और वह भी विशेष रूप से जब प्रकाशन में नियोक्ता का बोली प्रक्रिया को वापस लेने का अधिकार एक सुरक्षित अधिकार था। जिसमें याचिकाकर्ता ने भागीदारी के लिए अपनी पेशकश का विस्तार करने के लिए कहा था।

14. इसलिए उपर्युक्त कारणों से मैं आक्षेपित आदेश में कोई अवैधता नहीं पाता हूं। रिट याचिका में बल नहीं है और इसे खारिज किया जाता है।

15. ऊपर दिए गए निर्णय की समाप्ति के बाद, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि वास्तव में दिनांक 26.03.2022 का एक अनुबंध याचिकाकर्ता के पक्ष में निष्पादित किया गया है और उसने नगर पालिका के कार्यकारी अधिकारी के पास 5,26,500.00 रुपये की राशि जमा की है।

16. इसमें भी, भले ही याचिकाकर्ता के तर्क को अस्थायी रूप से स्वीकार कर भी लिया जाए, तो यह उसके पूर्व के तर्क के विपरीत है, जब उसने दिनांक 26.03.2022 के पत्र के संबंध में उल्लेख किया था और यहां तक कि अगर यह

माना जाता है कि एक निष्पादित अनुबंध था, तो याचिकाकर्ता खंड संख्या 17 और 19 द्वारा बाध्य था, उक्त करार के अंतर्गत निम्नलिखित में सेः–

> "17– किसी भी प्रकार के वाद के लिये जिला न्यायालय उत्तरकाशी मान्य होगा।
>
> 19– अपरिहार्य परिस्थितियों/जनहित में बिना कारण बताये तथा "शर्तो का उल्लघन की दशा में अनुमति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी व नियमानुसार विधिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।"

17. परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता को यह उपलब्ध होगा कि वह विधिनुसार अपनी शिकायतों के निवारण के लिए जिला न्यायालय, उत्तरकाशी से संपर्क कर सकता है।

18. उपरोक्त आधारों पर रिट याचिका तद्नुसार खारिज की जाती है।

(शरद कुमार शर्मा, जे0)
06.04.2022

उत्तराखंड उच्च न्यायालयए नैनीताल
रिट याचिका ;एम/एसद्ध संख्या 686 / 2022

रमेश सजवाण ण्ण्ण
याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तराखंड राज्य और अन्य ण्ण्ण
प्रतिवादी

श्री तरुण प्रकाश टाकुलीए याचिकाकर्ता के वकीलए
श्री सुयश पंतए ब्रीफ होल्डरए उत्तराखंड राज्यध्1 और 2ण
श्री राजीव सिंह बिष्टए एडवोकेटए प्रतिवादीध्3 और 4 के लिए।

माननीय शरद कुमार शर्माए जे ;मौखिकद्ध

नगर पालिका परिषदए बाराहाटए उत्तरकाशीए जिला उत्तरकाशी ने दिनांक 16ण्03ण्2022 को 2021.2022 का प्रकाशन संख्या 1085 जारी करके ष्बैशाखी बसंत मेला .2022ष आयोजित करने के प्रयोजनों के लिए संभावित बोलीदाताओं से बोलियां आमंत्रित की थीं। 16ण्03ण्2022 को दिए गए निविदाओं के निमंत्रण के प्रस्ताव के अनुसारए नगर पालिका परिषदए बाराहाटए उत्तरकाशी ने निम्नलिखित शर्तें लगाई थींए कि नियोक्ता के लिए यह हमेशा खुला रहेगाए जो निविदाओं को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए आमंत्रित कर रहा हैए यहां तक कि अस्वीकृति का कोई कारण बताए बिनाए या 16ण्03ण्2022 के प्रकाशन द्वारा बढ़ाई गई बोलियों की पेशकश की शर्तों में कोई बदलाव करने के लिए।

2ण याचिकाकर्ता का कहना है कि उसने बोली के उक्त निमंत्रण का जवाब दिया थाए और परिणामस्वरूप वह तर्क देता हैए कि वह एक सफल बोलीदाता के रूप में निर्धारित थाए जिसके पक्ष

में अनुबंध निष्पादित किया जाना था। इसके अतिरिक्तए वह दिनांक 26ण्03ण्2022 के पत्र संख्या 1062 का संदर्भ देते हैंए जिसमें अध्यक्षए नगर पालिका परिषद द्वारा किए गए एक पत्र मेंए जिसमें उन्होंने प्रस्तुत किया है कि निविदा समिति की सिफारिश के आधार परए नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष ने अनुबंध स्वीकार कर लिया हैए और इसके बाद याचिकाकर्ता को अनुबंध बांड निष्पादित करने के लिए कहा गया था। लेकिन केवल 75ः की सीमा तक अग्रिम धन जमा करने के बादए जैसा कि 26ण्03ण्2022 के संचार में संदर्भित किया गया है।

3ण् वास्तव मेंए याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया गया हैए जैसे कि समिति का निर्णयए जिसे याचिकाकर्ता को अनुबंध निष्पादित करने के लिए बुलाकर लागू करने की मांग की जा रही थीए उसके द्वारा दी गई बोली के स्थापित अधिकारों की परिणति के परिणामस्वरूप हुई है और उसके पक्ष में एक अधिकार समाप्त हो गया हैए याचिकाकर्ता द्वारा इसे गलत तरीके से समझा गया है क्योंकि संपन्न अनुबंध को निष्पादित किया जाना बाकी थाए और उक्त संचार संख्या 1062ए दिनांक 26ण्03ण्2022ए केवल बोलियों के लिए एक निमंत्रण थाए और केवल एक प्रस्ताव होगा।

4ण् याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि 31ण्03ण्2022 के संचार द्वाराए याचिकाकर्ता की बोली को खारिज कर दिया गया हैए और इस प्रकार वास्तव में यह संकल्प लिया गया था कि नगरपालिका क्षेत्र के ष्व्यापार मंडलष द्वारा उठाए गए विरोध के कारण कोई अनुबंध निष्पादित नहीं किया जाना है ।

5ण् याचिकाकर्ता का कहना है कि यह आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के दोषों से ग्रस्त है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील के इस तर्क को स्वीकार नहीं करने के दो कारण हैं। ;पद्ध निविदा प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाने का अधिकारए जैसा कि प्रतिवादी द्वारा 16ण्03ण्2022 को बोली लगाने के लिए अपने निमंत्रण के माध्यम से आमंत्रित किया गया हैए नियोक्ता द्वारा किसी भी समय और चरण में वापस लिए जाने के लिए सुरक्षित रखा गया थाए और वह भी बिना कोई कारण बताए। यद्यपि दिनांक 31ण्03ण्2022 के इस पत्र मेंए इसके कारण दिए गए हैंए लेकिन लागू आदेश में कारणों को अपने आप में सौंपने से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का आकर्षण नहीं होगाए खासकर जब याचिकाकर्ता के पक्ष में कोई समापन और निष्कर्षित अधिकार नहीं बनाया गया हैए क्योंकि इस

न्यायालय की राय के अनुसार 26ण्03ण्2022 का पत्र केवल अनुबंध के निष्पादन की पेशकश थी। जिसे निष्पादित किया जाना बाकी थाए और एक संपन्न अनुबंध का अंतिम रूप दिया गया था।

6ण् याचिकाकर्ता के वकील ने **14ण्12ण्2015 को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा 2015 के डब्ल्यूपीएमएस संख्या** 3115 में दिए गए एक फैसले का संदर्भ दिया था। वास्तव मेंए यदि कहा गया है निर्णय पर ही विचार किया जाता हैए इसमें जो निष्कर्ष निकाले गए हैंए वे उक्त मामले की अनन्य तथ्यात्मक पृष्ठभूमि के आधार पर थेए जहां निर्दिष्ट अवधि के लिए ष्झूलाष और अन्य मनोरंजन गतिविधियों के उपकरणों को स्थापित करने का एक निष्कर्षित अधिकार याचिकाकर्ता को पहले ही एक समापित अनुबंध के तहत दिया गया थाए जिसे बाद में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा रद्द कर दिया गया था।

7ण् समन्वय पीठ ने उक्त निर्णय में ठेका देने को रद्द करने के आदेश को रद्द करने वाली रिट याचिका को स्वीकार कर लिया थाए क्योंकि बोलियों के निमंत्रण की पेशकश में निहित तथ्यात्मक परिस्थितियां विचार का विषय नहीं थीं और न ही उस संबंध में कोई निष्कर्ष दर्ज किया गया है।

8ण् मैं इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिए गए उक्त निर्णय से सम्मानपूर्वक असहमत हूं।

9ण् एक अन्य निर्णयध्आदेशए जिस पर याचिकाकर्ता के वकील द्वारा भरोसा किया गया हैए वह यह है कि जैसा कि **2020 के डब्ल्यूपीएमएस संख्या 252** में प्रस्तुत किया गया थाए जैसा कि इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा तय किया गया थाए जिसमें 27ण्01ण्2020 के एक आदेश द्वाराए याचिकाकर्ता के पक्ष में एक अंतरिम आदेश पारित किया गया थाए जिसमें 22ण्01ण्2022 के आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी। जिसे प्रतिवादी नंबर 3 द्वारा पारित किया गया थाए और याचिकाकर्ता को पुरोला में स्थित खेल के मैदान में ष्व्यापार मेला दर्शनी मेलाष आयोजित करने की अनुमति देने के लिए एक परमादेश की याचिका मांगी गई थी ।

10ण् चूंकि उक्त आदेश एक वार्ताकारी आदेश हैए और यह केवल एक अंतरिम व्यवस्था के माध्यम से थाए इसलिए यह एक न्यायिक मिसाल नहीं हैए जिसका किसी अन्य समन्वय पीठ पर बाध्यकारी

प्रभाव पड़ेगाए जब तक कि इस मुद्दे को अदालत द्वारा अंततः अपनी योग्यता के आधार पर निर्णय नहीं दिया जाता है।

11ण याचिकाकर्ता के वकील ने 2021 के डब्ल्यूपीएमएस संख्या 495 में दिए गए एक और फैसले का उल्लेख किया हैए जिसमें **10ण02ण2021** के आदेश द्वारा घनशालीए जिला टिहरी गढ़वाल में मेला आयोजित करने की अनुमति देने के लिएए उप.मंडल मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 26ण02ण2021 के आदेश के माध्यम से उक्त अनुमति रद्द कर दी गई थी। उस मामले मेंए यह वास्तव में एक ऐसा मामला थाए जहां 10ण02ण2021 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता को पहले से ही प्रस्ताव के लिए जमा किया गया थाए और उक्त मामले में याचिकाकर्ता ने शेष राशि जमा करने का प्रयास किया था। लेकिन इस मामले में भीए यह परिस्थितियों के समान सेट पर आधारित नहीं थाए जैसा कि वर्तमान मामले में विचार शामिल हैय इसका कारण यह है कि यदि 03ण03ण2021 के उक्त फैसले के अंतिम भाग को ध्यान में रखा जाता हैए तो वास्तव में जमा राशि में छूट के पहलू पर भारत सरकार द्वारा जारी दिशा.निर्देशों के आलोक में विचार किया जा रहा थाए जो मौजूदा कोविड 19 महामारी की स्थिति के कारण जारी किए गए थे। उक्त निर्णय याचिकाकर्ता के वर्तमान तथ्यात्मक मामले के बड़े पैमाने पर विरोधाभासी था। इसलिएए उक्त फैसले के आधार पर याचिकाकर्ता द्वारा जिस सिद्धांत को आधार बनाने की मांग की गई हैए वह तत्काल मामले में लागू नहीं होगाए जहां याचिकाकर्ता द्वारा जमा की जाने वाली राशि को जमा करने में आंशिक विफलता थी।

12ण उक्त निर्णय को दिनांक 20ण03ण2022 के संचार के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिएए जहां केवल याचिकाकर्ता को 75ः राशि जमा करने के बाद ही अनुबंध निष्पादित करने के लिए उत्तरदाताओं से संपर्क करने की पेशकश की गई थी।

13ण इसका अर्थ है कि याचिकाकर्ता के पक्ष में कोई निष्कर्ष निकाला गया अधिकार बनाए जाने से पहले यह बहुत असामयिक चरण थाए और वह भी विशेष रूप से जबए बोली प्रक्रिया को वापस लेने का अधिकार एक अधिकार था जो प्रकाशन में नियोक्ता द्वारा आरक्षित थाए जिसे याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया है और भागीदारी के लिए अपनी पेशकश का विस्तार किया है।

14ण इसलिएए उपर्युक्त कारणों सेए मुझे आक्षेपित आदेश में कोई अवैधता नहीं मिलती है। रिट याचिका में दम नहीं हैए और इसे खारिज किया जाता है।

15ण ऊपर दिए गए निर्णय की समाप्ति के बादए याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया हैए कि वास्तव में 26ण03ण2022 का एक समझौता याचिकाकर्ता के पक्ष में निष्पादित किया गया हैए और इसके आगे वह प्रस्तुत करता है कि उसने नगर पालिका के कार्यकारी अधिकारी के साथ 5 रुपये की राशि जमा की है। 26ए500६ण

16ण उस घटना में भीए भले ही याचिकाकर्ता के तर्क को अस्थायी रूप से स्वीकार कर लिया जाएए यह उसके पहले के तर्क के विपरीत हैए जब उसने 26ण03ण2022 के संचार के संबंध में उल्लेख किया थाए और यहां तक कि अगर यह माना जाता है कि एक समापन अनुबंध थाए तो याचिकाकर्ता खंड संख्या 17 और 19 द्वारा बाध्य थाए उक्त करार के अंतर्गत निम्नलिखित में से 17.

> श17. किसी भी प्रकार के वाद के लिये जिला न्यायालय उत्तरकाशी मान्य होगा।
> 19. अपरिहार्य परिस्थितियों/जनहित में बिना कारण बताये तथा शर्तो का उल्लघन की दशा में अनुमति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी व नियमानुसार विधिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।श

17ण मैं बहुत खुश हूँ। उस स्थिति मेंए याचिकाकर्ता के पास उपलब्ध ये सहमति पूर्ण उपाय यह होगा कि वह अपनी शिकायतों के निवारण के लिए जिला न्यायालयए उत्तरकाशी से संपर्क करेए यदि यह कानून की नजर में बिल्कुल भी टिकाऊ है।

18ण ऊपर दर्ज कारणों से रिट याचिका तदनुसार खारिज की जाती है।

;शरद कुमार शर्माए जे।द्ध
06ण04ण2022

एनआर ६